

टारगेट किलिंग साजिश नाकाम

स्पेशल सेल की कार्रवाई में बड़ा खुलासा, ग्रेनेड हमले की थी साजिश, दो गिरफ्तार

दिल्ली-एनसीआर में आईएसआई मॉड्यूल का भंडाफोड़

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी आतंकी और आपराधिक साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध आईएसआई से जुड़े नेटवर्क से बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, ये दोनों आरोपी दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में टारगेट किलिंग और गोलीबारी जैसी



वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे (जांच में यह भी सामने आया है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और आईएसआई एजेंटों का हाथ था, जो भारत में सक्रिय अपने नेटवर्क के जरिए हमले करवाने की योजना बना रहे थे। समय रहते गिरफ्तारी होने से एक बड़ी घटना

टल गई है। इस मामले ने एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और सीमा पर से संचालित नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गोलीबारी, टारगेट किलिंग और खराबियों के पास से एक पिस्तौल, छह पिंदों कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

बीएसबी बोर्ड रिजल्ट 2026 हुआ घोषित

10 वीं में ऑल इंडिया टॉपर बनी असम की अशिमता बसनेट, 12 वीं की टॉपर रही पंतजलि गुरुकुलम टिहरी की मल्लिका दास



अशिमता बसनेट

मल्लिका दास

हरिद्वार, 21 अप्रैल भारतीय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कक्षा 10 एवं 12 बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष देशभर में भारतीय शिक्षा बोर्ड संबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता अर्जित की है।

परिणामों में विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। बोर्ड की ओर से


बताया गया है कि विद्यार्थी अपना परिणाम डिजिटल पर जाकर कुछ जरूरी जानकारी देकर जान सकते हैं। कक्षा 10 में ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम स्थान अशिमता बसनेट (485/500, 97.00%), आचार्यकुलम, कुमायिका, असम ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान प्रियंम चक्रवर्ती (463/500, 92.60%), आचार्यकुलम, चिरांग, असम तथा तृतीय स्थान एंजेल (462/500, 92.40%), पंतजलि गुरुकुलम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड को प्राप्त

राष्ट्र-निर्माण की दिशा में अग्रणी सिविल सेवक

मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर 'सिविल सेवकों' के अवसर 'सिविल सेवकों'

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 'सिविल सेवकों' को बधाई दी और उनसे सुशासन तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी 'सिविल सेवकों' को मेरी शुभकामनाएं। यह सुशासन और राष्ट्र-निर्माण की दिशा में काम करने के हमारे संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का एक अवसर है। ज़मीनी स्तर से लेकर नीति-निर्माण तक 'सिविल सेवकों' के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श करते हैं और भारत की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। कामना है कि हमारे सिविल सेवक अपने कर्तव्य के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखते हुए, उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के



साथ देश की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रसेवा ही 'विकसित भारत' की नींव है। सिविल सेवा दिवस के गौरवशाली अवसर पर आइए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर सशक्त, समृद्ध एवं संवेदनशील भारतवर्ष के निर्माण का संकल्प दोहराएं। शीलं परहाितासिक! अनुत्सुकः क्षमा धृतिः अलोभश्रेति विद्यायाः परिपाकोञ्चल्ल उल्लेखनीय है कि हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को सारा जाता है और नागरिकों को सेवा करने के प्रति उनके समर्पण को फिर से दोहराया जाता है।

जनरल द्विवेदी का हवाई दौरा इंडो-पैसिफिक पर फोकस

हवाई दौरे पर सेना प्रमुख, यूएस संग रक्षा सहयोग पर जोर

भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को नई मजबूती



होनोलूलु, 21 अप्रैल। उपेंद्र द्विवेदी के हवाई दौरे ने भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को एक नई दिशा देने का संकेत दिया है। होनोलूलु में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा हुई।

इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा रणनीति पर जोर दिया। दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी को फोर्ट शेफर्ड में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया, जो इस यात्रा के महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने ओहू द्वीप का हवाई निरीक्षण भी किया, जहां उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने का अवसर मिला। यह

दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी होती जा रही है और दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी को फोर्ट शेफर्ड में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इसके बाद उन्होंने ओहू द्वीप का हवाई दौरा किया, जहां उन्हें अमेरिकी सेना के प्रशिक्षण तंत्र और बहु-ऊर्ध्व आर्परेशनल तैयारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। इस निरीक्षण से दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त अभियानों की संभावनाओं को समझने में मदद मिली। इस यात्रा के समानांतर, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वायुसेना स्तर पर भी उच्चस्तरीय बातचीत हुई थी।

एटीएस ने आतंकी साजिश की नाकाम कोशिश

अहमदाबाद, 21 अप्रैल। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित थे।

इन आरोपियों की पहचान इरफान पटान और मुशिरुद शेख के रूप में हुई है, जिन्हें क्रमशः गुजरात के सिद्धपुर और मुंबई से पकड़ा गया (जांच के मुताबिक, 22 वर्षीय इरफान पटान और केमिस्ट्री में एमएससी की पढ़ाई को है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वह कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित हो गया।) वहीं 21 वर्षीय मुशिरुद शेख, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जरिए इसी नेटवर्क से जुड़ा।

शोषणकारी चक्र से किसानों को बाहर निकालेंगे

किसान को कर्ज नहीं, भरोसा और सरल व्यवस्था चाहिए: शिवराज सिंह चौहान

आय बढ़ाने के लिए इटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर जोर



नई दिल्ली, 21 अप्रैल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को साहूकारी, ऊंचे ब्याज, जटिल कर्ज प्रक्रिया और असंवेदनशील व्यवस्था से राहत दिलाने के लिए

कृषि वित्त तंत्र को और अधिक सरल, व्यावहारिक, मानवीय और परिणामोन्मुख बनाना होगा। उन्होंने

कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को राहत दी है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग हो, बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप मजबूत बने, योजनाएं जमीन पर व्यावहारिक रूप से लागू हों और छोटे किसानों को आय बढ़ाने के लिए एकजूट खेती जैसे मॉडल को आगे बढ़ाया जाए।

SBFC एसीबीएस फाइनेंस लिमिटेड

कक्षा नोटिस		(सुसूत्रा हित के नियम 8(2) के अनुसार (प्रवर्तन) नियम, 2002)	
जबकि अधोहस्ताक्षरी, एसीबीएस फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुसूत्रा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 8 के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किए। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित तिथियों की। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि ये संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन एसीबीएस फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।	संपत्ति का विवरण और कब्जे की तिथि	कक्षा नोटिस में मांग गई राशि (₹.)	
उधारकर्ताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि	सर्वे नं. 533/1, पटवारी हल्का नं.40 और नया नं.16, वाई नं.15, लातपुरा हरि मोहल्ला, कल्याण शाजपुर, महाराष्ट्र, पिनकोड- 465001. उधारकर्ता का पता: पिनकोड- 465001. उधारकर्ता का पता: SBFCFLAP000079807 (PR01581036) और SBFCFLAP000233337 (PR01836455) मांग नोटिस दिनांक: 27-01-2026	सर्वे नं. 533/1, पटवारी हल्का नं.40 और नया नं.16, वाई नं.15, लातपुरा हरि मोहल्ला, कल्याण शाजपुर, महाराष्ट्र, पिनकोड- 465001. उधारकर्ता का पता: पिनकोड- 465001. उधारकर्ता का पता: SBFCFLAP000079807 (PR01581036) और SBFCFLAP000233337 (PR01836455) मांग नोटिस दिनांक: 27-01-2026	₹. 1686342/- 9 जनवरी 2026 को देय राशि (सोलह लाख) विद्यार्थी मंजूर तीन सौ ब्यालीस (₹) और दिनांक 10.01.2026 से अनुसूचित का ब्याज (लगाव नहीं हुआ) इतना शामिल है।

उधारकर्ता का व्यापक अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।
स्थान: शाजापुर/महाराष्ट्र, दिनांक: 22.04.2026 एसीबी/ अधिकृत अधिकारी, एसीबीएस फाइनेंस लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बाट मार्ग, लोअर पोरत, मुंबई-400013, सकेल ऑफिस पता - 9वीं, द्वितीय तल, पुरा रोड, नई दिल्ली - 110060

क्र. सं.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(अनुसूचित सूची संख्या LNMR1T000144076 (पुराना) 80900005799441 (नया) (रतलाम शाखा) श्री विजय कुलसानी (ऋणकर्ता) श्रीमती निर्मला तुलसानी, श्रीमती सावित्री तुलसानी (सह-ऋणकर्ता)	10.04.2026 ₹. 25,23,934/- (02.04.2026 तक)	मकान संख्या 386, जवाहर मार्ग, मुख्य सड़क नागाव, [जेन कॉलोनी, वाई संख्या 12, नागाव, मध्य प्रदेश- 456335 में स्थित मकान और भवन का पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट है। सोमार्ग इस प्रकार है: खसरा सं.170/7, 171/7, 172/7; पूर्व में पालीवाल जी का मकान; पश्चिम में कैलाश पोखराल का मकान, उत्तर में आम रास्ता; दक्षिण में मेली।

यदि उक्त उधारकर्ता/सौजीसौल को पूर्णतः भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सौजीसौल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का उधारकर्ता को भुगतान करना होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकर्ताओं को सौजीसौल को पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या डंड का सामना करना पड़ेगा।
स्थान: इन्डौर दिनांक: 22.04.2026 एसीबी/ (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सौजीसौल) के लिए

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एन.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069

आगर शाखा: ग्राउण्ड फ्लोर, भूमि सर्वे नं.341/2 पर मकान का पूर्वी भाग, सांयंगपुर रोड, छावनी नाका के पास, आगर 465441 (म.प्र.) इंदौर शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, शांति नंबर 105, 107, 109, प्रथम मंजिल, शेखर सेंद्रूल, पलासिया चौराहा, मनोरामपुर, ए.बी. रोड, इंदौर - 452001 (मध्य प्रदेश)

इंदौर विजय नगर शाखा: ऑफिस नंबर 111 एवं 112, प्रथम मंजिल, अंधेरी-452010 (मध्य प्रदेश) इंदौर शाखा: मकान नं. 164, गांधी मार्केट वाई 13, यशोधाम मार्ग, जेन नं.07, नूतन स्कूल के सामने, मंदसौर 458001 (म.प्र.) रतलाम शाखा: ग्राउण्ड फ्लोर, 19, पलेसे रोड, धितामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)

मांग सूचना

सिक्वियूटीआईजेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एक्सप्रेस एंड इंडोसमेंट ऑफ सिक्वियूटीआई इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2002 के साथ संप्रति सिक्वियूटीआई इंस्ट्रूमेंट (इंडोसमेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना सिक्वियूटीआईजेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एक्सप्रेस एंड इंडोसमेंट ऑफ सिक्वियूटीआई इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ संप्रति सिक्वियूटीआई इंस्ट्रूमेंट (इंडोसमेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुनः उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुनः सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुनः प्राप्ति तक लागू मध्य ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजों/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुनर्भुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्र.	उधारकर्ता/ओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की तिथि एवं मांग राशि	प्रतिभूति आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/या)
1	(लोन कोड नं. 11710000214/ आगर शाखा) फायनर्स मंसूरी (ऋणी) साबीर खां एवं नासीम बी (सह-ऋणी)	14-04-2026 & ₹ 12,61,068/-	संपत्ति का समस्त एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 204/4/1/1/2, भेषोवा रोड, वाई नंबर 1, नलखेड़, आगर मालवा, मध्य प्रदेश 465445 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - आबिद खान का प्लॉट, पश्चिम - विकेटा की शेष भूमि, उत्तर - विकेटा की शेष भूमि, दक्षिण - सड़क
2	(लोन कोड नं. 00310001698/ इंदौर शाखा) किरण विश्वकर्मा (ऋणी) देवीलाल विश्वकर्मा (सह-ऋणी)	14-04-2026 & ₹ 18,89,696/-	संपत्ति का समस्त एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ गौमतेश सिटी - सेक्टर अरिहंत नगरा एक्सप्रेसवेन, हातोद रोड के अंदर, प्लॉट नंबर 765 का दक्षिणी भाग, जंजुरिहापुरी, इंदौर, मध्य प्रदेश 453112 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - सड़क, पश्चिम - प्लॉट नंबर 780, उत्तर - उक्त प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण - प्लॉट नंबर 766
3	(लोन कोड नं. 00310001867/ इंदौर शाखा) अमित (ऋणी) पंकी अमित (सह-ऋणी)	14-04-2026 & ₹ 12,82,112/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 58/3, प.ह. नंबर 59/117, प्लॉट नंबर 48, वाई नंबर 28, तहसील पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश 464775 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - प्लॉट नंबर 64, पश्चिम - सड़क, उत्तर - प्लॉट नंबर 47, दक्षिण - प्लॉट नंबर 49.
4	(लोन कोड नं. 35310001004/ इंदौर विजय नगर शाखा) ममता काग (ऋणी) पवन काग (सह-ऋणी)	14-04-2026 & ₹ 36,21,990/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एफएम प्रकॉन नंबर 472, लायन पार्क-2, कैंट रोड के अंदर, रंगसा, इंदौर, मध्य प्रदेश 453331 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - कॉलोनी की सड़क, पश्चिम - प्लॉट नंबर 469, उत्तर - प्लॉट नंबर 473, दक्षिण - प्लॉट नंबर 471.
5	(लोन कोड नं. 11010000387/ मंदसौर शाखा) हरिजन/बलाई मोहाला वाई नंबर 13 सुवासरा मंदसौर मध्य प्रदेश 458888 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - चंदर पिता मुन्ना जी प्रजापत का मकान, पश्चिम - नरसिंह पिता तेजमल वगेरा का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - हनीफा भाई पिता सादिक का मकान	14-04-2026 & ₹ 21,74,154/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ मकान नं. 823 अम्बेडकर वाई (सुवासरा) मण्डी, सुवासरा) पुराना हरिजन/बलाई मोहाला वाई नंबर 13 सुवासरा मंदसौर मध्य प्रदेश 458888 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - चंदर पिता मुन्ना जी प्रजापत का मकान, पश्चिम - नरसिंह पिता तेजमल वगेरा का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - हनीफा भाई पिता सादिक का मकान
6	(लोन कोड नं. 02210000569/ रतलाम शाखा) शिवश चरण (ऋणी) शिवा चरण (सह-ऋणी)	14-04-2026 & ₹ 10,55,216/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सीरियल नंबर 104, एएसएफ मकान नंबर 1427 नयापुर, मेघनगर थांढला मेघनगर रोड वाई नंबर 8, भगतसिंह वाई मेघनगर थांढला मध्य प्रदेश 457779 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - राम वीर का मकान, पश्चिम - देवेंद्र, शक्ति एवं धनु का बेवा मकान, उत्तर - ईश्वर का मकान, दक्षिण - सड़क
7	(लोन कोड नं. 02210001282/ रतलाम शाखा) रजिवन सिंह (ऋणी) विष्णु कुंवर (सह-ऋणी)	14-04-2026 & ₹ 11,19,008/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नंबर 14 मकान नंबर 41/0/3 ग्राम महिदपुर रोड (गोगापुर) नयागाव रोड वाई नंबर 16 गोगापुर उज्जैन मध्य प्रदेश 456440 चतुर्सीमाएं:- पूर्व - नाली, पश्चिम - सड़क, उत्तर - भंवरलाल का मकान, दक्षिण - कालू पोखराल का मकान

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता/उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13(4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है। कोई व्यक्ति जो उक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने को बाधता देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रवर्त जमानत या/एवं कारावास के लिए दंडित होने के योग्य होगा।
स्थान: मध्य प्रदेश सही/ प्राधिकृत अधिकारी वास्ते - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 22-04-2026

कक्षा 12 में ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम स्थान मल्लिका दास (481/500, 96.20%), पंतजलि गुरुकुलम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान प्रिया (474/500, 94.80%), पंतजलि गुरुकुलम, हरिद्वार, उत्तराखंड तथा तृतीय स्थान अशिका चौहान (473/500, 94.60%), पंतजलि गुरुकुलम, हरिद्वार, उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। विद्यवार परिणाम केंद्र पर साईस में मल्लिका दास (93), पंतजलि गुरुकुलम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, अंग्रेजी में काशिया यादव (95), पंतजलि गुरुकुलम, हरिद्वार, उत्तराखंड, इतिहास में दीक्षाती मौर्य (96), पंतजलि गुरुकुलम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, हिंदी में अनुका सिंह (99), पंतजलि गुरुकुलम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

हुआ। विषयवार परिणाम में गणित, बसनेट (97, 97, 96), अंग्रेजी एवं विज्ञान में अशिमता आचार्यकुलम, कुमायिका, असम

कार्यालय नगर परिषद कसरावद जिला - खरगोन (म.प्र.)

Telephone no. 07285-231360 / * Email id.cmokasrawad@mpurban.gov.in

कसरावद, दिनांक - 21/04/2026

(निविदा विज्ञापित)

एतद द्वारा समस्त एजेन्सी / एन.जी.ओ / टेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद कसरावद में जल प्रदाय व्यवस्था / डोर डू डोर कचरा वाहन चालक एवं टिचिंग ग्राउण्ड पर कार्य करने हेतु निकाय में अतिरिक्त श्रमिकों (लेबरो) की समय-समय पर आवश्यकता होती है जिस हेतु कलेक्टर दर पर निकाय को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु भाव-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अतएव संबंधित इच्छुक एजेन्सी / एन.जी.ओ / टेकेदार अपने-अपने भाव पत्र बंद लिफाफे में दिनांक 28/04/26 को अपरान्ह 03 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उक्त निविदाएं पृथक पृथक प्रस्तुत करें। भाव पत्र उसी दिनांक को समय साय.04 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में खोले जायेंगे।

क्र.	कार्य का नाम	अमानत राशि	निविदा फार्म शुल्क	रिमांक
1	जल प्रदाय कार्य व्यवस्था अंतर्गत वालमने, पाईप लाइन सुरक्षी कार्य करने वाले श्रमिक।	5000=00	500=00	
2	निकाय वाहन डोर डू डोर कचरा संग्रहण, जे.सी.बी मशीन, मट पम्प, टेक्टर वाहन हेतु वाहन चालक श्रमिक।	5000=00	500=00	
3	स्वच्छता शाखा अंतर्गत टिचिंग ग्राउण्ड पर कार्य करने हेतु श्रमिक।	5000=00	500=00	

नोट :-
1. नियम एवं शर्तें कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
2. निविदाय दरे समस्त शासन अर्हता एवं टेक्स सहित चमा कि जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र निविदा विज्ञापित जारी पश्चात कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कसरावद

चोला मंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 'चोला फ्रेन्ट', सी54 और 55, सुपर बी-4, रिडर वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600032।

कक्षा नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए))

जबकि अधोहस्ताक्षरी, मेसर्स चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) के तहत और सुरक्षा हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (2) के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को, जिनके नाम नीचे कॉलम [बी] में दर्शाए गए हैं, कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम [डी] में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के लिए कहा गया है। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 20 अप्रैल 2026 को नीचे वर्णित